रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042024-253646
CG-DL-E-12042024-253646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946
No. 93] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

आ.अ. 102(अ).—यतः, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने के प्रयोजन से भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14(2) के अंतर्गत निर्गत और राजपत्र, दिनांक 28 मार्च, 2024 के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 29- **बैतूल (अ.ज.जा.)** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की थी कि लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें; और

यतः, 29- **बैतूल (अ.ज.जा.)** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी, एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल, द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, नामतः श्री अशोक भलावी की 09 अप्रैल, 2024 को मृत्यु हो गई थी; और

यतः, उसके परिणामस्वरूप और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उपधारा (1)(ग) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान को बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया था और इस तथ्य की सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी थी।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) 29- **बैतूल (अ.ज.जा.)** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

क) आयोग के नोटिस सं. 464/ईपीएस/2024(2), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि	**19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)**
ख) आयोग के नोटिस सं. 464/ईपीएस/2024(2), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की संवीक्षा की तिथि	**20 अप्रैल, 2024 (शनिवार)**
ग) आयोग के नोटिस सं. 464/ईपीएस/2024(2), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में केवल बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	**22 अप्रैल, 2024 (सोमवार)**
घ) वह तिथि जिसको मतदान करवाया जाएगा	**07 मई, 2024 (मंगलवार)**
ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न हो जाएगा	**06 जून, 2024 (गुरुवार)**

(ब) **पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक का समय** ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान उक्त निर्वाचन के लिए पैरा (अ) में विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा।

[सं. 464/ईपीएस/2024(2)]

आदेश से,

संजीव कुमार प्रसाद, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2024

O.N. 102(E).—WHEREAS, for the purpose of holding of General Election to the House of People, the President of India had, by Notification issued under Section 14(2) of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951) and published in an Extraordinary issue of the Gazette dated 28th March, 2024 called upon the 29-Betul (ST) Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh to elect member to the House of People and;

WHEREAS, one contesting candidate, namely, Shri Ashok Bhalavi from 29-Betul (ST) Parliamentary Constituency, set up by the Bahujan Samaj Party, a recognized National Party, died on 9th April, 2024; and

WHEREAS, in consequence thereof and in accordance with the provisions of sub- section (1)(c) of Section 52 of the Representation of the People Act, 1951, the Returning Officer for the said constituency adjourned the poll to a date to be notified later, and reported the fact to the Election Commission;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 52 read with Section 30 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India, hereby-

(A) **APPOINTS**, with respect to the said election from 29-Betul (ST) Parliamentary Constituency:-

a) Last date for making nominations by the candidate sponsored by the Bahujan Samaj Party only, in pursuance of the Commission's Notice number 464/EPS/2024(2), dated 12th April, 2024	**19th April , 2024 (Friday)**
b) Date for the scrutiny of nominations of the candidate sponsored by the Bahujan Samaj Party only, in pursuance of the Commission's Notice number 464/EPS/2024(2), dated 12th April, 2024	**20th April, 2024 (Saturday)**
c) Last date for the withdrawal of candidature by the candidate sponsored by the Bahujan Samaj Party only, in pursuance of the Commission's Notice number 464/EPS/2024(2), dated 12th April, 2024	**22nd April, 2024 (Monday)**
d) Date on which a poll shall be taken	**7th May, 2024 (Tuesday)**
e) Date before which the election shall be completed	**6th June, 2024 (Thursday)**

(B) **Fixes the hours** from **7:00 AM to 06:00 PM**, as the hours during which the poll shall be taken on the date specified in para(A) for the said election.

[No. 464/EPS/2024(2)]

By Order,

SANJEEV KUMAR PRASAD, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.12 01:22:36 +05'30'